22 (1)

संख्याः 299 / लो0नि0-2 /04-10(...)

प्रेषक,

टी0 के0 पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग उत्तरांचल,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादूनः दिनाँक 28, फरवरी, 2004

विषय:- वित्तीय वर्ष 2003-2004 मे 237नये कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा ... स्वीकृति

महोदय,

उपर्युक्त विषय मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची मे उल्लिखित उपलब्ध कराये गये 237(दो सौ सैंतीस कार्यो के) आगणनो लागत रू016712.04 लाख के आगणन द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्य पूर्ण पायी रू0 16331.03 लाख (रू0एक सौ तरेसठ करोड़ इकतीस लाख मात्र) की लागत केआगणन की उनके सम्मुख अंकित विवरणानुसार प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति ... वर्तमान वित्तीय वर्ष में रू0 66.05लाख (रू0 छियासठ लाख पाँच हजार मात्र)की धनराशि के ... राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वनभूमि एवं निजी भूमि ... कार्यवाही की जाय तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर की जाय,कार्य प्रार... पूर्व भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त कर लिया जायेगा ।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/ मानचित्र सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति ... होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से ... कदापि न किया जाय,भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करके,अथवा कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा ।

5. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार ... अभियन्ता से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा, कार्य करते समय टैण्डर विषयक नियमो का अनुपालन ... जायेगा

5 MAR 2...

छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग

6. यदि उपरोक्त कार्यों की पूर्व मे किसी अन्य योजना /शासनादेश के द्वारा स्वीकृति प्रदान हो,तो उस कार्य हेतु धराशि का आहरण नही किया जायेगा

7. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए लोक विभाग द्वारा प्रचलित दरों/ विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना करें।

8. कार्य कराने से पूर्व स्थल का उच्च अधिकारियो एवं भुगर्भवेत्ता के साथ भली भाँति अवश्य करा ले, निरीक्षण के पश्चात स्थलीय आवश्यकतानुसार निर्देशो तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप द जाय ।

9. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

10. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

11. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जायेगा, कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी/ अधिशासी अभियन्ता का होगा।

12. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल/ वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की आवश्यकता हो,तो उनमें व्यय प्रत्येक कार्य के आगणनो पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर की स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.03.2004 तक उपयोग कर लिया जाय ।

13. आगामी किश्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण कार्य की वित्तीय/ भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय ।

14- क्रमांक- 03 पर अंकित कार्य पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2003-04 मे अनुदान लेखाशीर्षक 5054 सडको तथा सेतुओ पर पूँजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सडकें-आयोजनागत व्यय-02 अनुसूचित जाति/जनजाति स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अधीन -02-नया निर्माण कार्य-24 कार्य तथा शेष योजनाओ का व्यय इसी लेखाशीर्षक मे 03-राज्य सेक्टर-02-नया निर्माण कार्य-24 कार्य के नामे डाला जायेगा ।

15- आदेश वित्त अनुभाग-3 के अशासकीय संख्या -3035/ वित्त अनुभाग-3/ 28,फरवरी,, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(टी०पी० पन्त)
संयुक्त सचिव।

छाया प्रति सत्यापित

कमशः

78	स्याला–गुरजिला–बिरगुल मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 10.00किमी0	144.00	144.00	0.50
79	रिंग–बिलवालगांव –मिडार मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 5.00किमी0	72.00	72.00	0.10
80	रानीखेत–मगचोडा–मगास मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 10.00किमी0	139.00	139.00	0.50
81	चौबटिया–कुनलाखेत मोटर मार्ग का विस्तार लम्बाई 5.00 किमी0	69.50	69.50	0.10
82	रापड–नौधरिया–डुमनाकोट–जीनापानी–उगलिया मोटर मार्ग लम्बाई 2.00किमी0	27.80	27.80	0.05
83	बाराकोट–रामेश्वरम मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 4.00 किमी0	57.60	57.60	0.10
84	धौन–मंच मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 12.00किमी0	172.80	172.80	0.50
85	लोहाघाट व चम्पावत नगरों में रिंग रोड का निर्माण लम्बाई 8.00तथा 7.00किमी0	216.00	216.00	0.50
86	ओगला–ओगलागांव–पाटकगांव–जेठीगांव–नरेथ पंतगांव–डूबालगांव –मामीचौरा मोटर मार्ग लम्बाई 10.00किमी	144.00	144.00	0.50
87	मैलडा–खरोडा –आदिचौरा मोटर मार्ग लम्बाई 10.00किमी0	144.00	144.00	0.50
88	छेडा–रोडीपाली–रौपाटा मोटर मार्ग लम्बाई 10.00 किमी0	144.00	144.00	0.50
89	खेती–सेराघाट–धुरागांव मोटर मार्ग लम्बाई 5.00किमी0	72.00	72.00	0.10
90	बडडा–बगौटर–हल्दू–पंचेश्वर मोटर मार्ग का विस्तार लम्बाई 10.00किमी0	144.00	144.00	0.50
91	पाताल भुवनेश्वर–चौडमनिया मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 5.00 किमी.	72.00	72.00	0.10
92	बनकोट–रामेश्वर–बटगीर मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 2.00किमी0	20.80	20.80	0.05
93	अगरून बैण्ड–आयंलाघाट मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 10.00 किमी0	144.00	144.00	0.50
94	छायारूडी–गल्ला गरखा–चण्डीघाट	72.00	72.00	0.10

छायाप्रति सत्यापित